

ज्वाइंट डेटा प्रॉसेसिंग पर जानकारी

“सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फॉरेन नैशनल्स”

जेनरल डेटा प्रॉटेक्शन रेगुलेशन (DSGVO) के अनुच्छेद 13 तथा 14 के अनुरूप

कंट्रोलर के नाम तथा संपर्क विवरण:

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (इमिग्रेशन व असाइलम का फेडरल ऑफिस)

Modecenterstraße 22, 1030 Wien

फोन: +43- 59 133 98 7004

फैक्स: +43- 59 133 98 7399

फैक्स: BFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at

डेटा प्रॉटेक्शन ऑफिसर के संपर्क विवरण:

फोन: +43- 59 133 98 0

ईमेल: BFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at

प्रॉसेसिंग का उद्देश्य जिसके लिए निजी डेटा लक्षित होते हैं:

फेडरल मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर, फेडरल ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन एंड असाइलम, प्रतिनिधि प्राधिकार, फेडरल ऐडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट तथा टेम्पररी एंड पर्मानेंट ऐलिऐंस रेसिडेंस ऐक्ट में वर्णित प्राधिकार में वर्णित प्राधिकार तथा ऐलिऐंस पुलिस, रेसिडेंस व असाइलम प्राधिकारों के उद्देश्य के लिए किसी सेंट्रल रजिस्टर में प्रोविंसियल पुलिस हेडक्वार्टर्स द्वारा विदेशी नागरिकों के डेटा का ज्वाइंस प्रॉसेसिंग तथा इस्तेमाल

प्रॉसेसिंग के लिए कानूनी आधार:

संघीय कानून के अनुच्छेद 26, 27, 29 और 58 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए योग्यता प्रदान करने के लिए आप्रवासन और असाइलम के फेडरल कार्यालय के समक्ष कार्यवाही से संबंधित सामान्य शर्तों को विनियमित करते हुए असाधारण परिस्थितियों, निर्वासन, हटाने की स्थगन, साथ ही निवास परमिट आवास को समाप्त करने और एलियंस के लिए ऑस्ट्रियाई दस्तावेजों के मुद्दे को समाप्त करने के कार्यों के आदेश के रूप में (BFA प्रॉसीडिंग्स ऐक्ट, BFA-VG) ई-गवर्नमेंट ऐक्ट तथा ई-गवर्नमेंट डीलिटेशन डिक्री और सोर्सिपिन रजिस्टर रेगुलेशन व कम्प्लेमेंट्री रजिस्ट्री डिक्री व फेडरल ऐक्ट ऑन कैरिंग आउट पोपुलेशन, वर्कप्लेस, बिल्डिंग तथा अपार्टमेंट सेंसस (रजिस्ट्री सेंसन ऐक्ट) के संयोजन से।

वह अवधि जिसके लिए निजी डेटा को भंडारित किया जाएगा:

BFA प्रॉसीडिंग्स ऐक्ट के अनुरूप कैप्चर डेटा को जल्द से जल्द वास्तविक रूप से मिटा दिया जाना चाहिए

1. जब व्यक्ति को ऑस्ट्रियाई नागरिकता प्रदान कर दी गई हो ज्योंही डेटा की आवश्यकता उन्हें एक परदेशी के रूप में जारी किसी दस्तावेज को निकालने के लिए खत्म हो जाती हो;
2. जब आप्रवासन तथा असाइलम के फेडरल कार्यालय या फेडरल ऐडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट को व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी दे दी गई हो और तब से लेकर आज तक पांच वर्ष बीत चुके हों, या
3. आप्रवासन तथा असाइलम के फेडरल कार्यालय या फेडरल ऐडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट को कार्यवाहियों के अंतिम फैसले की सूचना देने के दस वर्ष बाद, या किसी आवेदन के वापस लिए जाने, कार्यवाहियों से जुड़े आवेदन के बंद हो जाने के बाद या जब आवेदन विषय-वस्तु से रहित हो गया हो। यह तब लागू नहीं होता जब व्यक्ति के प्रवेश या निवास के ऊपर स्थाई प्रतिबंध लगाया गया हो। यदि निवास को समाप्त करने वाली अस्थाई कार्यवाही की वैधता पहले फैसले में वर्णित बिंदु के बाद समाप्त हो जाता हो, तो वैधता के ऐसे समापन पर डेटा को डिलीट कर दिया जाना चाहिए।

निजी डेटा के प्राप्तकर्ताओं की श्रेणियां:

1. सुरक्षा एजेंसियां जो सिक्योरिटी पुलिस ऐक्ट के अनुच्छेद 4 में वर्णित हों
2. प्रांतीय पुलिस हेडक्वार्टर्स
3. टेम्पररी एंड पर्मिनेंट ऐलिऐंस रेसिडेंस ऐक्ट में वर्णित प्राधिकार
4. विदेशों के ऑस्ट्रियाई प्रतिनिधि प्राधिकार
5. इमिग्रेशन तथा असाइलम का फेडरल कार्यालय
6. अभियोजन प्राधिकार
7. वित्तीय अपराध प्राधिकार
8. फॉरेन लेबर ऐक्ट के कार्यावयन के साथ नियुक्त प्राधिकार
9. सिविल रजिस्ट्री डिपार्टमेंट
10. नागरिकता प्राधिकार
11. निवास पंजीकरण प्राधिकार

12. ऑस्ट्रिया में रिफ्यूजीज के लिए यूएन हाई कमिशनर का कार्यालय
13. BFA प्रॉसीडिंग्स ऐक्ट के अनुच्छेद 49 से 52 के अनुरूप लीगल ऐडवाइजर
14. राष्ट्र के राष्ट्र प्राधिकरणों को क्रमशः राष्ट्रों को निर्धारित करने के लिए एक समझौते से जुड़ा संविदात्मक दल, जो डबलिन विनियमन को लागू करता है जो एक असाइलम आवेदन या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवेदन की जांच करने के लिए सक्षम है/हैं
15. शरणार्थियों से जुड़े जेनेवा सम्मेलन के लिए जिम्मेदार विदेशी प्राधिकार, जब पहचान निर्धारण और साथ ही असाइलम की मंजूरी बगैर ऐसे प्राधिकारों को हस्तांतरण के संभव न हो और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे डेटा उस देश के प्राधिकारों के लिए सुगम्य नहीं होंगे, जहां असाइलम के लिए इच्छुक या शरणार्थी उत्पीड़न होने का दावा करते
16. युवा कल्याण प्राधिकार
17. बेसिक केयर एंड सर्विसेज अग्रीमेंट के अनुरूप कार्य पूरा करने वाले फेडरल तथा प्रोविंसियल निकाय
18. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस ऑस्ट्रिया (AMS) तथा स्थानीय प्राधिकार जिसे केयर प्रावधान तथा इंटीग्रेशन सहायता की जिम्मेदारी सौंपी गई होती है
19. क्षेत्रीय स्वास्थ्य संस्थान तथा फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन सोशल इंश्योरेंस इंस्टिट्यूशंस
20. फेडरल प्रोविसेज के प्रशासनिक अदालतें
21. सिविल तथा क्रिमिनल कोर्ट्स तथा कारा
22. फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ यूरोप, इंटीग्रेशन एंड फॉरेन अफेयर्स
23. मूल देश के प्राधिकार
24. ई-गवर्नमेंट ऐक्ट में निर्धारित योग्यताओं के भीतर सोर्सपिन रजिस्टर ऑथोरिटी
25. स्टैटिस्टिक्स ऑस्ट्रिया
26. फेडरल मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर के माध्यम से EU सदस्य देशों में अन्य निवास प्राधिकारों का राष्ट्रीय संपर्क
27. दुनिया के सभी देशों में काम करने वाली विदेशी सुरक्षा एजेंसियां

28. अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन
29. फेडरल ऐडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट
30. EU सदस्य राष्ट्र
31. फेडरल मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर
32. रिटर्न काउंसलर्स

(DSGVO के अनुच्छेद 4, आइटम 8 में वर्णित अनुसार, क्रमशः डेटा प्रॉटेक्शन ऐक्ट (DSG) के अनुच्छेद 36, सेक्शन 2, आइटम 9 के अनुरूप) प्रॉसेसर्स: IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H., Microsoft Österreich GmbH, Bundesrechenzentrum GmbH, Atos IT Solutions and Services GmbH

डेटा के अधिकार इनके अधीन होते हैं:

शिकायत दर्ज करने का अधिकार:

ऑसिप्टरप्यन डेटा परपॅटेक्शन ऑथोरिटी (1030 Wien, Barichgasse 40–42, फोन +43 1 52 152-0, email dsb@dsb.gv.at) में डेटा परपॅटेक्शन ऐक्ट (DSG) के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 24 के अनुरूप शिकायत दर्ज करने का अधिकार लागू होता है।

ऐक्सेस करने का अधिकार, सुधारने का अधिकार या निजी डेटा को मिटाने का अधिकार:

ऐक्सेस करने का अधिकार DSGVO के अनुच्छेद 15 में वर्णित है।

सुधारने का अधिकार DSGVO के अनुच्छेद 16 में वर्णित है।

मिटाने ('भुला दिए जाने का अधिकार') का अधिकार DSGVO के अनुच्छेद 17 में वर्णित है।